

## कोटेशन पत्र

कार्यालय प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान चम्पावत।

पत्रांक 780 / कोटेशन (आवर्तक -अनावर्तक)/2025-26

दिनांक 12-02.2026

सेवा में,

समस्त समर्थ विक्रेता

द्वारा

1. नोटिस बोर्ड संस्था परिसर।
2. संस्था की वेबसाईट।
3. नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद।

विषय :- संस्था राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत के Seminar Hall में आयोजित होने वाले सेमिनार/ वर्कशाप/ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं Recreational Activities हेतु PA System की आवश्यकता के संबंध में।

महोदय,

इस संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु Seminar Hall में आयोजित होने वाले सेमिनार/ वर्कशाप/ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं Recreational Activities के लिए PA System (Portable Speaker System with microphone) की आवश्यकता है ( सम्बन्धित विशिष्टियाँ-02 Speaker inbuilt Amplifier, Bluetooth 125-200 Watt with 02 UHF wireless MIC with inbuilt Echo fix)। उक्त विशिष्टियों की सामग्री GeM पोर्टल में उपलब्ध न होने के कारण कोटेशन निर्गत किया जा रहा है। सामग्रियों की पूर्ति बीजक द्वारा होगी। रेलवे रसीद, ट्रान्सपोर्ट रसीद बैंक के द्वारा सैल्फ के नाम नहीं भेजी जायेगी। सूचना सीलबन्द लिफाफे में, प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, नियर पुलिस लाईन ग्राम चौड़ासेठी चम्पावत पिन कोड नं0 262523 के नाम दिनांक 21-02-2026 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। दरों के मुहरबन्द लिफाफे विक्रेताओं की अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 23-02-2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत के कक्ष में खोले जायेंगे ।

कोटेशन देते समय आवश्यक शर्तें जिनका पालन आवश्यक है:-

1. संस्था कार्यालय से क्रय आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर सामग्री उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है।
2. केवल स्टैंडर्ड ब्रांड अथवा उत्तम श्रेणी की सामग्रियों की दर ही सूचित करें एवं साथ ही साथ ब्रांड का नाम भी लिखें।
3. कोटेशन में अंकित दरें भाड़ा/पैकिंग, फॉरवर्डिंग व समस्त आवश्यक सामग्री / वर्क / अन्य टैक्स सहित सम्मिलित कर के ही दी जायें।
4. कोटेशन की दरों में काट-छाँट अथवा ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में कोटेशन निरस्त किया जा सकता है।
5. कोटेशन दरें 31 मार्च 2026 तक मान्य होनी चाहिए अन्यथा यह स्पष्ट उल्लेख करें कि दी गयी दरें किस अवधि तक मान्य होगी।
6. शील्ड लिफाफे के ऊपर कोटेशन पत्र की संख्या तथा खुलने की तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए।
7. संस्था को सभी /किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
8. दरें F.O.R. राजकीय पालीटेकनिक चम्पावत की होनी चाहिए।

भवदीय,



प्रधानाचार्य,

उत्तराखण्ड राजकीय पालीटेकनिक संस्थान  
चम्पावत  
प्रधानाचार्य  
राजकीय पालीटेकनिक  
चम्पावत